

न्यायालय:- आर0पी0अहिरवार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला उमरिया (म.प्र.)
कमांक /C.J.M./2024 उमरिया, दिनांक 04.04.2024

संशोधित रिमांड ड्यूटी आदेश

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उमरिया जिला स्थापना में पदस्थ अधिकारियों का स्थानान्तरण होने से मैं आर0पी0अहिरवार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उमरिया म0प्र0 दं0प्र0सं0 1973 की धारा 14 एवं 15 तथा म0प्र0 दाण्डिक नियम एवं आदेश के नियम 31 के उपबंधों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अग्रिम आदेश तक के लिए माह अप्रैल में निम्नानुसार रिमांड ड्यूटी लगाता हूँ -

क्र.	रिमाण्ड ड्यूटी की तारीख	न्यायिक मजिस्ट्रेटों के नाम
1.	7, 9, 11, 14 अप्रैल 2024	श्री अपूर्व मेहरोत्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उमरिया

टीप:- न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी दोपहर पश्चात 3:00 बजे से 5:00 बजे तक अपने न्यायालय कक्ष में अपने कर्मचारियों के साथ उपस्थित होकर सम्पादित करेंगे। किसी कारणवश उक्त कार्य सम्पन्न करने की असमर्थता की स्थिति में अथवा मुख्यालय छोड़ने की स्थिति में वह वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित कर मुख्यालय अनुमति मिलने के पश्चात, इस न्यायालय को सूचित कर मुख्यालय से प्रस्थान करेंगे।

(आर0पी0 अहिरवार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला उमरिया (म0प्र0)

पृष्ठांकन कमांक 21(5) C.J.M./2024

उमरिया, दिनांक 04.04.2024

- प्रतिलिपि:-**
1. पुलिस अधीक्षक, जिला उमरिया म0प्र0।
 2. श्री अपूर्व मेहरोत्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उमरिया।
 3. अध्यक्ष अधिवक्ता संघ उमरिया
 4. निष्पादन लिपिक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय उमरिया की ओर माननीय के समक्ष प्रस्तुत करने बावत्।
 5. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, जिला न्यायालय उमरिया की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
 6. जिला नाजिर उमरिया की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे रिमांड ड्यूटी के समय मेन गेट एवं न्यायालय कक्ष खुलवाये।

(आर0पी0 अहिरवार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला उमरिया (म0प्र0)